न्यायालयः—धीरेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हातोद, जिला—इंदौर (म0प्र0)

Filling No-05/2018
Filling Date-17-01-2018
संस्थित दिनांकः—17.01.2018
प्रकरण क्रमांक—आर.सी.टी. 01/2018
सी.एन.आर. नंबरः— एम.पी.09080000142018

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र हातोद,
जिला इंदौर (म0प्र0) .... अभियोजन

//विरूद्ध//

01. मनोहर पिता इंदरमल,
उम्र— 36 वर्ष, व्यवसाय— मजदूरी,
02. रोहित पिता दिनेश,
उम्र— 22 वर्ष, व्यवसाय— मजदूरी,
दोनों निवासी— हातोद थाना हातोद,
जिला इंदौर (म.प्र.) ....अभियुक्तगण

—:निर्णयः—
(आज दिनांक 11.12.2019 को घोषित)

01— प्रकरण में अभियुक्तगण पर लोकस्थान में फरियादिया ऋतु शर्मा को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने, फरियादिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के लिये भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 (भाग—02) के अपराध का आरोप है।

02— मामले का सारांश यह है कि दिनांक 15.11.2017 को समय 18:30 बजे फरियादिया अपने घर के सामने वर्तन साफ कर रही थी तभी अभियुक्त मनोहर तथा उसका दोस्त रोहित फरियादिया के घर के सामने आये और दोनो फरियादिया वर्षा शर्मा को मां बहन की अश्लील गालियां देने लगे और कहा कि अगर तूने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की तो तेरी मां चोद दूंगा और तेरे ससुराल का मुझे पता चल गया है और कहा कि अगर तूने शादी करने की हिम्मत की तो फरियादिया और उसके परिवार को जान से खत्म कर देगा। घटना दिनांक को फरियादिया के पिता के न होने के कारण रिपोर्ट अगले दिन करने गयी थी। फरयिादी की शिकायत के आधार

पर घटना पुलिसथाना हातोद के क्षेत्रांतर्गत होने से थाना हातोद के अपराध कमांक 203/17 के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया गया। अपराध की विवेचना में घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को धारा 41 के तहत सूचना पत्रक बनाया गया। साक्षी ऋतु, वर्षा, श्यामाबाई, तथा कमलकिशोर शर्मा के कथन लेखबद्व किये गये। अन्वेषणोपरान्त अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03– अपने अभिवाक् में अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। अभियुक्त परीक्षण मे उन्होंने व्यक्त किया है कि वे निर्दोष हैं उनके खिलाफ झूठा प्रकरण बनाया गया है, बरी किया जाये।

04– प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैः–

01. क्या अभियुक्तगण ने लोकस्थान में फरियादिया ऋतु शर्मा को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?

02. क्या अभियुक्तगण ने फरियादिया को संत्रास कारित करने के आशय से उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

03. दण्डादेश ?

05– ऋतु शर्मा (अ.सा.–02) फरियादी है। उसने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 15.11.17 को दोपहर में 01:30 बजे के लगभग वह और उसकी छोटी बहन वर्षा शर्मा अपने घर से बैंक ऑफ इंडिया जा रहे थे। अप्पू–दीपू की किराने की दुकान के सामने जब वह पहुंचे तभी वहां अभियुक्त मनोहर आ गया और उसने उसे गंदी–गंदी गालियां दीं तथा यह भी धमकी दी कि उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गयी पहले की रिपोर्टों में यदि उसने राजीनामा नहीं किया तो अभियुक्त उसकी फोटो व वीडियो वायरल कर देगा और यह भी धमकी दी कि उसकी मर्जी के बगैर शादी नहीं होने देगा। उसने बताया है कि डर के कारण वह घर आ गयी थी और उसकी बहन बैंक चली गयी थी। उसने यह भी बताया है कि उसी दिन शाम को 06:30–06:45 के लगभग वह अपने घर के बाहर बर्तन धुल रही थी तभी अभियुक्त मनोहर व रोहित आये थे और दोनों ने उसे गालियां दी थीं तथा रोहित ने धमकी दी थी कि उसकी होने वाली ससुराल की जानकारी उन्हें हैं और यदि उसने शादी की तो वे उसे व उसके परिवारवालों को जान से खत्म कर देंगे। वर्षा शर्मा (अ.सा.–01) ऋतु शर्मा की छोटी बहन है। उसने भी दोनों स्थल की घटनाओं का समर्थन किया है। उसने बैंक जाने के रास्ते में अभियुक्तगण का मिलना बताया है और उसकी दीदी ऋतु शर्मा को मां चोदने, बहन चोदने की गाली देना बताया है और गाली गंदी लगना भी बताया है तथा राजीनामा न करने पर वीडियो और फोटो ससुराल भेजने की धमकी देना बताया है। शाम की घटना के बारें मं उसने बताया है कि आरोपीगण

की आवाज सुनने के बाद वह बाहर आई और दीदी ने उससे बोला था कि मोबाईल ला कि 100 नंबर फोन लगायेंगे तो अभियुक्त वहां से चले गये थे।

06– उक्त दोनों साक्षियों ने बताया है कि ऋतु शर्मा ने थाने में रिपोर्ट की थी। ऋतु शर्मा ने थाने में लिखित रिपोर्ट प्र.पी–01 किया जाना और उसके रिपोर्ट की कायमी प्र.पी–02 किया जाना बताया है तथा पुलिस द्वारा नक्शा मौका प्र.पी– 03 बनाया जाना भी बताया है। नागेन्द्र सिंह भदौरिया (अ.सा.–03) ने ऋतु शर्मा द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर कायमी प्रपी–02 किया जाना बताया है और नक्शा मौका प्र.पी–03 बनाया जाना बताया है।

07– अभियोजन साक्षियों ने एक ही दिनांक को दो स्थानों की घटना बतायी हैं। प्रथम स्थान की घटना दोपहर के लगभग की है और दूसरी घटना शाम की है। प्र.सू.रि. प्र.पी–02 में शाम की घटना पर ही जोर दिया गया है तथा नक्शा मौका प्र. पी–03 भी फरियादी के मकान के बाहर का बनाया गया है अर्थात् नक्शा मौका में भी शाम की घटना पर ही जोर दिया गया है। साक्षी ऋतु शर्मा ने दोपहर में केवल अभियुक्त मनोहर के आने की बात बतायी है जबकि वर्षा शर्मा अभियुक्तगण के आने की बात बता रही है अर्थात् उसने दोनों अभियुक्तों के मौके पर आने के बारें में बताया है। प्र.सू.रि. प्र.पी–01 में फरियादी द्वारा लिखित आवेदन है उसमें भी केवल मनोहर के दोपहर की घटना के समय मौके पर पहुंचने की बात बतायी है। ऐसी स्थिति में यह दर्शित होता है कि दोनों साक्षी की साक्ष्य इस बात में विरोधाभासी है कि दोपहर में केवल एक अभियुक्त मिला था या दोनों अभियुक्त मिले थे।

08– साक्षी ऋतु शर्मा ने बताया है कि अभियुक्त मनोहर ने पुरानी रिपोर्टों में राजीनामा न करने पर वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी दी थी। वर्षा शर्मा ने भी उक्त बात ही बतायी है। प्र.पी–01 के आवेदन में राजीनामा करने के लिये कहने के बारें में कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि मर्जी के बगैर शादी न हो सकना कहने के बारें में उल्लेख है। इस प्रकार वर्षा शर्मा और ऋतु शर्मा की बात आवेदन प्र.पी–01 खंडित है। अतः यह दर्शित नहीं होता है कि राजीनामा करने के लिये अभियुक्त द्वारा कहा गया था और राजीनामा न करने पर वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी दी थी। दोनों साक्षियों में से किसी साक्षी ने यह भी नहीं बताया है कि उनके ऐसे कोई वीडियो व फोटो अभियुक्त के पास है जो वह वायरल करने की धमकी दे रहा है। साक्षी वर्षा शर्मा ने तो इस बात की जानकारी होने से मना किया है कि फरियादी के कोई फोटो या वीडियो अभियुक्त के पास हैं। यदि परिवार के साथ खींचे गये फोटो कोई मौजूद भी हों तो उनके वायरल होने से फरियादी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है।

09– ऋतु शर्मा ने शाम को अभियुक्तगण के आने और रोहित द्वारा उसकी शादी करने पर उसे व उसके परिवार वालों को जान से खत्म करने की धमकी देने

की बात बतायी है। साक्षी वर्षा शर्मा ने भी शाम को अभियुक्तगण के आने की बात बतायी है, किन्तु उसने यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने क्या धमकी दी। रोहित से फरियादीगण का ऐसा कोई विवाद नहीं है कि वह फरियादीगण को धमकी दे। मनोहर के साथ बैठने–उठने के कारण रोहित से बातचीत न होना ऋतु शर्मा ने बताया है। रोहित, मनोहर का दोस्त हो सकता है और यह हो सकता है कि दोनों साथ में उठते–बैठते हों। रोहित भी उसी मकान में रहता है जिस मकान में पहले फरियादी निवास करती थी। एक ही मकान में रहने पर और अभियुक्त के साथ रहने के कारण कुछ विवाद हो सकता है, किन्तु ऐसे विवाद में रोहित जाकर धमकी दे, यह आवश्यक नहीं है। अभियुक्त मनोहर ने शाम को कोई धमकी दी हो, ऐसा साक्षी ऋतु शर्मा या साक्षी वर्षा ने नहीं बताया है। **लक्ष्मण वि0 म0प्र0राज्य 1989 जे0एल0जे0 653** में मान0 उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि भा0द ं0सं0की धारा 506–बी के अपराध के लिए धमकी वास्तविक होनी चाहिए तथा उससे संत्रास कारित होने का आशय होना चाहिए। इसी मामले में यह भी कहा गया है कि आपराधिक अभित्रास के अपराध का परम् आवश्यक तत्व यह है कि उसमें संत्रास करने का आशय होना चाहिए। अथवा जिस व्यक्ति को धमकी दी गई है उससे कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आवद्ध न हो, अथवा किसी कार्य को करने से रोका जाए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो तथा प्रयुक्त शब्दों से यह स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि अभियुक्त क्या करने जा रहा था तथा परिवादी को विवेकी व्यक्ति के रूप में यह आवश्यक रूप से प्रतीत होना चाहिए कि अभियुक्त अपने शब्दों को कार्य रूप में संपरिवर्तित करने वाला है।

10– न्यायदृष्टांत **शंकर लाल वि0 म0प्र0 राज्य 2005 (1) एम0पी0एल0जे0 449** के मामले में भी मान0 उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई धमकी वास्तविक प्रकट नहीं होती, उससे इस आशय का कोई सुझाव नहीं दिया जाता कि आरोपी क्या करने वाला है अथवा वह जो कह रहा है उसे वास्तव में करने वाला है, इस बात का कोई साक्ष्य न हो कि फरियादी वास्तव में डर गया हो, तब भा0दं0सं0 की धारा 506–बी में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। न्यायदृष्टांत **म0प्र0 राज्य वि0 देव मुनि 1991 (1) एम0पी0 विकली नोट 109** के मामले में भी मान0 उच्च–न्यायालय ने यह कहा है कि प्रकरण की परिस्थितियों में यदि धमकी के क्रियान्वयन की सम्भावना नहीं है तब भा0दं0वि0 की धारा 506 बी में दोषमुक्ति होगी। साक्षीगण ने शादी करने पर जान से खत्म करने की धमकी देना बताया है। धमकी का फरियादी पर कोई प्रभाव पड़ा हो, यह स्पष्ट नहीं है। मात्र धमकी दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धमकी का प्रभावी होना भी आवश्यक है। यदि धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उससे संत्रास होना नहीं माना जा सकता और यदि धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उससे आपराधिक अभित्रास होना भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में यह स्पष्टतः दर्शित नहीं है कि अभियुक्त रोहित ने फरियादी को धमकी

दी थी और यदि धमकी दी भी हो तो उससे कोई संत्रास कारित होना दर्शित नहीं है।

11– ऋतु शर्मा ने बैंक की घटना के संबंध में मनोहर द्वारा केवल गंदी–गंदी गालियां देना बताया है। उसने गालियों के कोई शब्द नहीं बताये हैं। वर्षा ने अभियुक्त द्वारा दिये गये गालियों के शब्द बताये हैं और गाली सुनने में गंदी लगना भी बताया है। मनोहर और फरियादीगण के आपस में पूर्व में अच्छे संबंध रहे हैं तथा बाद में विवाद हुये हैं। विवाद ऋतु को लेकर हैं और फरियादी पक्ष के अनुसार मनोहर शादी को लेकर दबाव बना रहा था। दूसरी जगह शादी करने पर धमकी दे रहा था। यदि मनोहर फरियादी से शादी करने के प्रयास में रहा है तो वह उसे लोगों के सामने किसी भीड़–भाड़ वाले स्थान पर गाली–गलौंच करें, यह विश्वसनीय नहीं लगता है। वर्षा ने केवल गंदी लगना बताया है, किन्तु उक्त गालियों को सुनकर उस पर कोई प्रभाव हुआ था, यह दर्शित नहीं है। ऋतु शर्मा ने गालियों के कोई शब्द नहीं बताये हैं। यदि अभियुक्त ने उसे उक्त गालियां दीं होती तो ऋतु शर्मा भी उक्त बात बताती। शाम की घटना के संबंध में वर्षा ने केवल गंदी–गंदी गालियां देना बताया है, किन्तु गालियों के कोई विवरण नहीं है। साक्षी ऋतु शर्मा ने भी केवल गालियां देना बताया है। उसने भी गालियों का कोई विवरण नहीं दिया है।

12– न्यायदृष्टांत **ओमप्रकाश विरूद्ध स्टेट ऑफ म.प्र. 1989 एम.पी.एल.जे. 657** में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि केवल भद्दी गालियां धारा 294 का अपराध गठित नहीं करती हैं। न्यायदृष्टांत **सुशीला देवी शर्मा विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2005 एस.सी.सी. ऑनलाईन एम.पी. 149** के मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. ने निर्धारित किया है कि केवल अश्लील शब्द पर्याप्त नहीं है बल्कि उससे क्षोभ होना भी आवश्यक है। न्यायदृष्टांत **शरद दबे एवं अन्य विरूद्ध महेश गुप्ता एवं अन्य 2005 एस.सी.सी. ऑनलाईन एम.पी. 21** के मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि केवल अश्लील या भद्दे शब्द उच्चारित करना ही धारा 294 का अपराध गठित नहीं करता है। न्यायदृष्टांत **विष्णुप्रसाद विरूद्ध म.प्र. राज्य 1971 जे.एल.जे. नोट 148** में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि धारा 294 के अंतर्गत् अश्लील कार्य में केवल गालियां दिया जाना शामिल नहीं है। अश्लीलता का संबंध नैतिकता एवं सेक्स से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार यदि उक्त गाली बोली भी गयी होतो केवल शब्दों का उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है उससे क्षोभ होना भी आवश्यक है। उक्त आधार पर यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने अश्लील गालियां दी हैं और उनसे फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था।

13– दोनों घटनायें लोकस्थान की बतायी गयी हैं। पहले घटना बैंक जाने के मार्ग की है और दूसरी घटना फरियादी के घर के बाहर की है। पहली घटना मार्केट

की है वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं, किन्तु उनमें से किसी को साक्षी नहीं बनाया गया है। दूसरी घटना भी घर के बाहर रास्ते की है। आस–पड़ोस में भी लोग रहते हैं। यदि गाली–गलौंच जैसी कोई घटना होती है और आस–पड़ोस के लोग भी उन्हें सुन सकते हैं। आस–पड़ोस के किसी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है। फरियादी जिस मकान में रह रही है उस मकान के भी किसी सदस्य को साक्षी नहीं बनाया गया है। साक्षी नागेन्द्र सिंह भदौरिया ने विवेचना की है। उसने बताया है कि कोई स्वतंत्र नागरिक उसे घटना के संबंध में बताने नहीं आया था। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों में से किसी घटना में मौके पर कोई मौजूद न हो। आस–पास के दुकान वाले भी घटना के बारें में बता सकते थे और आस–पास के मकान वाले भी घटना के बारें में बता सकते थे, किन्तु ऐसा कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। साक्षी ऋतु शर्मा ने यह बताया है कि उसने अभियुक्त के विरूद्ध पहले भी रिपोर्ट की है और उसके द्वारा की गयी पहले की रिपोर्ट में मनोहर जेल गया था और वहां से छूटकर आने के बाद उसके द्वारा ही यह दूसरी रिपोर्ट की गयी है। पुराने संबंध और उसके पश्चात् विवाद तथा विवाद में रिपोर्ट आदि से भी यह दर्शित होता है कि उभयपक्ष के मध्य विवाद मौजूद थे।

14– इस प्रकार मामले में आई उक्त साक्ष्य के अनुसार फरियादी एवं अभियुक्त के मध्य विवाद होना व पूर्व में रिपोर्टें आदि किया जाना दर्शित होता है। घटना का कोई साक्षी नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील गालियां दीं और उनसे उन्हें क्षोभ कारित हुआ। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को ऐसी धमकी दी जिससे उन्हें अभित्रास कारित हुआ। अतः उभयपक्ष के मध्य चल रहे विवाद, स्वतंत्र साक्षियों का उपलब्ध न होना और धमकी और गाली के संबंध में आवश्यक साक्ष्य न होने से स्पष्टतः प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने फरियादी के साथ आरोपित अपराध कारित किया गया था। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने के तथ्य मौजूद नहीं है। अतः अभियुक्तगण को भा.द.स. की धारा 294, 506 (भाग–2) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15– प्रकरण के अन्वेषण, जाँच एवं विचारण के दौरान अभियुक्तगण अभिरक्षा में नहीं रहे हैं। द0प्र0सं0 की धारा 428 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जायें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित किया जाकर घोषित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(धीरेन्द्र सिंह परिहार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
हातोद ,जिला–इंदौर (म.प्र.)

(धीरेन्द्र सिंह परिहार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
हातोद ,जिला–इंदौर (म.प्र.)

DHIRENDRA SINGH PARIHAR
Digitally signed by DHIRENDRA SINGH PARIHAR
Date: 2019.12.11 15:26:24 -08'00'